न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 49/19

तारीखरजू:- 19/7/19

उनवानः— हरस्वरूप बनाम प्रकाश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
19/7/19	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 14/8/19 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1308/0.46, 1312/0.20 ग्राम मूंडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी तक मोके की यथास्थिति बनाये रखने व निर्माण कार्य नही करने के लिए पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ—साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेंट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.08.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2740-47 19/7/19
14-8-19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील मूलदावा मे हो चुकी थी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रार्थी वकील ने कथन किया कि गैरसायलान को पाबन्द किया	

Scanned by CamScanner

मु.नं. 49/19 – उनवान - हरस्वरूप बनाम प्रकाश वगै०

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

·11·19

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली मीटिंग में है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24·12·19 को पेश हो।
रीडर

19 प्रार्थी वकील उप०/ गतानुसार दि० 7·2·20 को पेश हो।

20 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराया दिनांक 19.7.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने का कथन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम गुंडिया की आराजी खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.46 हे०, 1312 रकबा 0.20 हे० में सायल हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार है। ख.नं. 1308 के पास ही ख.नं. 1310 रकबा 0.55 हे० किस्म गै०मु० पोखर है। सायलान के हिस्से की आराजीयात के पास में ख.नं. 1313, 2900/1313, 1311, 1307, 1304, है। जिनके खातेदार अन्य व्यक्ति है। गैरसायलान के पड़ौसी खातेदार नहीं है, अन्य व्यक्तियो की खातेदारी में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना भी बताया है। ख.नं. 1310 रकबा 0.55 किस्म गै० मु० पोखर में ग्राम वासियो द्वारा देव के नाम से चबूतरा बनाने का उल्लेख किया है तथा इनके विरुद्ध भूराजस्व अधि० की धारा 91 के तहत कार्यवाही का उल्लेख किया है इस प्रकार सायलान के हिस्से की आराजीयात ख.नं. 1308 रकबा 0.46 हे०, 1312 रकबा 0.20 हे० में गैरसायलान का कोई व्यवधान होना साबित नहीं है गैरसायलान के पड़ौसी खातेदार नहीं होने एवं किसी प्रकार से व्यवधान नहीं होने की स्थिति में गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं पाता हूँ। अतः सायल का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। ~~होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्र० के साथ संलग्न रहे।~~

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:49:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: